



मानवता परिवार

"आपका सहयोग, परिवार का सहारा"

पत्रांक-MP/DO-50/2026

दिनांक 29/08/2026

इनवेलिड / अवैधानिक सदस्यता पत्र

श्री, नवीन गौरव,

आपके एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त होने पर मानवता परिवार एवं मानवता परिवार की संपूर्ण टीम को अत्यंत दुख हुआ हम ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं इस कठिन समय में संपूर्ण मानवता परिवार के आपके साथ है

सदस्य आईडी: MP002103. नाम: श्री नवीन गौरव, निवास-कोरा जहानाबाद उत्तर प्रदेश। रजिस्ट्रेशन का दिनांक- 08/07/2025, एक्सीडेंट का दिनांक -11/08/2026, 8:23 PM आवेदन दिनांक 28/08/2026 को किरण लोक हॉस्पिटल कानपुर नगर में इलाज का आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार उन्होंने एक्सीडेंटल इलाज का लॉकिंग पीरियड 30 दिन का पूरा कर लिया है। सदस्यता का नवीनीकरण 8.7.2026 को किया जाना था किंतु सदस्यता का नवीनीकरण एक्सीडेंट दिनांक के बाद किया गया है।

नियमानुसार 1-सामान्य एक्सीडेंट सहायता-1 लाख तक सहयोग का नियम है मानवता परिवार के नियमावली की भाग-E नियम-1 के तहत "सदस्यता प्राप्त सदस्य को एक्सीडेंट होने पर अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे के लिए एडमिट होने पर ₹100000 तक खर्च होने पर खर्च होने वाली धनराशि मानवता परिवार द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत उपलब्ध कराई जाती है।

नियम-3-वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष से अधिक होने पर वार्षिक सदस्यता शुल्क रेनुवाल न होने पर सदस्य 1 लाख तक के एक्सीडेंट के लिए वैलिड एवं वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल इलाज सहायता संस्था द्वारा प्राप्त नहीं होगी।

नियम 4- वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष से अधिक होने पर वार्षिक सदस्यता का रेनुवाल एक्सीडेंट दिनांक से 2 दिन पूर्व का होना आवश्यक है।

नियम- 20 के अनुसार सदस्य ₹200 पंजीकरण शुल्क से सामान्य दुर्घटना (Accidental Death) की स्थिति में ₹1,00,000 तक की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृतक नॉमिनी सहयोग, क्रिटिकल 100% इलनेस एवं गंभीर बीमारी सहयोग में निर्धारित अवधि के दौरान न्यूनतम 80% सहयोग करने वाले सदस्य ही वैध (Valid) एवं पात्र सदस्य माने जाएंगे। आप द्वारा रजिस्ट्रेशन करने और एक्सीडेंट की घटना होने के दौरान मानवता परिवार द्वारा एक मृतक नॉमिनी सहयोग 5 कराए गए हैं जिसमें आपके द्वारा केवल दो मृतक परिवारों को सहयोग प्रदान किया गया है। 80% सहयोग कपूर्ण नहीं है। अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचना प्रेषित है।

आवेदन की तिथि तक सदस्य द्वारा मृतक नॉमिनी सहयोग, क्रिटिकल 100% इलनेस एवं गंभीर बीमारी सहयोग में निर्धारित अवधि के दौरान न्यूनतम 80% सहयोग पूर्ण नहीं किया जाना अभिलेखों के अनुसार सत्यापित पाया गया है।

मानवता परिवार के नियमावली की भाग संख्या"E" के नियम 3,4,20 तहत मानवता परिवार आपका सहयोग नियमावली से बंधे होने के कारण करने में असमर्थ हैं। मानवता परिवार आपसे आग्रह करता है कि भविष्य में अपने सहयोग को पूरा रखें। जिससे मानवता परिवार आपके कठिन दौर में सहयोग कर सके। क्योंकि नियमानुसार सहयोग करने वाला ही सहयोग पाने का हकदार होता है।

विनोद कुमार चक्रवर्ती

प्रदेश प्रभारी -मानवता परिवार

NGO Registered Under The Section-8 of The Company Act-2013 (Reg No.: U88100UP2024NPL208974)

Administrative Office
2/384, Vaibhav khand,
Near Mantri Awas Gomti Nagar
Lucknow, Uttar Pradesh - 226010

State Office
186, Tambeshwar Nagar, Jail
Road, Near Agrasen Chauraha
Fatehpur Uttar Pradesh-212601

Registered in
Startup India (DIPT184987)
NITI Ayog (UP/2024/0449234)
UDYAM Reg. (UDYAM-26-0021999)

Contact
6388890090
www.manavtafamily.org
manavtafamily@gmail.com